36

-1-

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक II/विविध/रीवा/भू.रा/2018/1535 /2018

प्रवीण कुमार शर्मा पुत्र स्व. इन्द्रपाल शर्मा आयु 46 साल निवासी ग्राम सिंचाई कालोनी व कार्यालय कार्यपालन यंत्री विधुत विभाग मउगंज के सामने वार्ड कमांक 3 चाक मोड मऊगंज जिला रीवा म.प्र.

..... आवेदक

बनाम

1. रमेश चन्द्र शर्मा पुत्र स्व. इन्द्रपाल शर्मा आयु 50 साल ,निवासी ग्राम टटिहराकला थाना तहसील नई गढी जिला रीवा म.प्र.

.....अनावेदक

2. श्रीमती फूलकली पत्नी स्व0 इन्द्रपाल शर्मा आयु 75 साल निवासी ग्राम टटिहरा कला तहसील नईगढी जिला रीवा म.प्र.
3. श्रीमती मधुबाला पाण्डेय पुत्री स्व. इन्द्रपाल शर्मा, निवासी ग्राम टटिहरा कलां थाना तहसील नईगढी जिला रीवा म.प्र. हाल निवासी ग्राम बेलहा पोस्ट अतरैला तहसील सिरमौर जिला रीवा म.प्र.

..... प्रोफार्मा पक्षकार

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 29 म.प्र. भू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1. यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 ने न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज जिला रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 30/ए-27/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 6.10.2017 के विरूद्ध

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ
प्रकरण कमांक दो–विविध/रीवा/भू.रा./2018/1535

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4/4/18	निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क पूर्व पेशी पर सुने जा चुके हैं । प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 373/2017–18 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24–11–17 पर से प्रस्तुत की जाकर म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 29 के अंतर्गत प्रकरण अपर आयुक्त न्यायालय से किसी अन्य सक्षम न्यायालय में हस्तांतरित किये जाने की मांग की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्को में व्यक्त किया कि अनुविभागीय अधिकारी, मउगंज के प्रकरण कमांक 30 अ–27/15–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 6–10–17 के विरूद्ध उन्होंने दिनांक 17–10–17 को केबिएट आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु अपर आयुक्त ने केबिएट आवेदन को अपील के साथ संलग्न न करके उनके केबिएट आवेदन पर विचार किये बिना अंतरिम आदेश दिनांक 24–11–17 से अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य कर ली है । अपर आयुक्त के एंव आवेदक के अभिभाषक के आपस में मधुर संबंध होकर मिलना जुलना है इसलिये अपर आयुक्त से उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, प्रकरण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में हस्तांतरित किया जावे। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के कम में अपर आयुक्त के अंतरिम आदेश दिनांक 24–11–17 के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त द्वारा अनावेदकगण के अभिभाषक	

को सुनकर अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य की है यदि भूलवश प्रवाचक की त्रृटि के कारण आवेदक द्वारा दायर केबिएट पर सुनवाई रह गई है तब आवेदक के अभिभाषक तदाशय की मांग / आपत्ति अपर आयुक्त के समक्ष भी प्रस्तुत कर सकते हैं तथा आगामी पेशी पर केबिएट आवेदन पर सुनवाई करा सकते है। आवेदक के पास अपर आयुक्त के समक्ष स्वयं् का पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण केबिएट पर सुनवाई की चूक के लिये अपर आयुक्त पर जिम्मेदारी डालकर प्रकरण धारा 29 के अंतर्गत अन्यत्र न्यायालय में हस्तांतरित करना अनावेदकगण (जिनमें दो महिला अनावेदक भी है) के हित में नहीं है। आवेदक आगामी पेशी पर केबिएट की सुनवाई कराने के लिये स्वतंत्र है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य